हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वाद पत्र संख्या 229/2024 GCMS NO. 2024/474
उनवानी सुरेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी जिला नीमकाथाना राज0
दावा– अधिकार घोषणा (नाम दुरूस्ती) व रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

2024

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर वकील वादी उपस्थित आये। पत्रावली पर तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई।

वादी के द्वारा हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि वाके राजस्व ग्राम गाडराटा पटवार हल्का गाडराटा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राज0 स्थित जमाबन्दी सवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या नया 232 के हाल खसरा नम्बर 2975/4 रकबा 0.37 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हेक्टेयर भूमि में वादी के गलत दर्ज नाम **"सुरेश पुत्र श्योपाल"** के स्थान पर वादी के सही नाम **"सुरेश कुमार पुत्र श्योपाल"** की उदघोषणा की जावे तथा तदुपरान्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

342
28.10.24

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट तथा वादी के पहचान दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया।

राजस्व ग्राम गाडराटा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना स्थित जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या नया 232 के हाल खसरा नम्बर 2975/4 रकबा 0.37 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हेक्टेयर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2975/4 रकबा 0.37 हेक्टेयर का वादी एकांकी खातेदार काश्तकार है। जमाबन्दी में वादी का नाम सुरेश दर्ज तथा आधार कार्ड में वादी का नाम सुरेश कुमार दर्ज है। तहसीलदार खेतडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में वादी का नाम सुरेश पुत्र श्योपाल के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र श्योपाल दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर वादी का हस्तगत वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है। लिहाला

आदेश

अतः वादी का हस्तगत वाद स्वीकार कर राजस्व ग्राम गाडराटा पटवार हल्का गाडराटा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना राज0 स्थित जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या नया 232 के हाल खसरा नम्बर 2975/4 रकबा 0.37 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 हेक्टेयर के खातेदार **सुरेश पुत्र श्योपाल** के स्थान पर **सुरेश कुमार पुत्र श्योपाल** के नाम की उदघोषणा की जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार खेतडी को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Ve
Digitally signed by B
Date: 2024.11.18 16
Reason: SelfAttested

(बन्शी धर योगी)
RAS
उपखण्ड अधिकारी खेतडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी